न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या :– 06/2019
सी.आई.एस. नं. :– 12/2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 342/2018, आरक्षी केन्द्र बालोतरा
CNR : RJBA010000752019

राजस्थान राज्य ।

विरुद्ध

01. इलियास पुत्र सलीम खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी गुप्ता ट्रांसपोर्ट के पास, पचपदरा, रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा ।
02. हैदर पुत्र हासम खां, उम्र 27 वर्ष, निवासी गेमनागाजी दरगाह के पास, बालोतरा, जिला बालोतरा ।

---- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 302 व 201 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
01. श्री कानसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से ।
02. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 30.05.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2018 को परिवादी फिरोज ने थानाधिकारी, पुलिस थाना बालोतरा के समक्ष एक टंकित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका बड़ा भाई मेहबूब पुत्र मुसे खां पिछले 10–15 सालों से स्वभाव से भोला है, जो दिनांक 09.09.2018 को सुबह 06.30 ए.एम. पर चाय पीकर घर से बाहर गया था जो अक्सर रात को 11.00 से 12.00 बजे के दौरान वापस घर आता था । दिनांक

09.09.2018 को वह रात को 08.00 बजे दवाई लेकर सो गया था । दिनांक 10.09.2018 को सुबह 07.00 बजे उठा तभी उसके भाई सलीम ने घर आकर उसे बताया कि मेहबूब भाई की हत्या कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोहम्मडन ग्राउण्ड में मेहबूब की लाश फेंक दी है, जिस पर वह, उसका भाई सलीम, सिकन्दर, युसुफ, सदाम व निसार सभी मोहम्मडन ग्राउण्ड में गए, वहाँ उसके भाई मेहबूब की लाश पड़ी थी । लाश के सिर में गहरा घाव लगा हुआ, पेट चीरा हुआ, आंते बाहर निकली हुई, शरीर से पेंट घुटनों तक उतरी हुई, शर्ट फटा हुआ व खून से सना हुआ था । लाश के पास चप्पल व पत्थर पड़े हुए थे, जिस पर खून के निशान थे । उसे पूरा–पूरा अंदेशा है कि उसके भाई मेहबूब की दिनांक 09.09.2018 से 10.09.2018 की दरम्यानी रात में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या करके लाश मोहम्मडन ग्राउण्ड में फेंक दी....... इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बालोतरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2018, अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण इलियास व हैदर के विरुद्ध धारा 302, 201/34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा में दिनांक 03.01.2019 को पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2019 को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया ।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 302 व 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः–

गवाह संख्या	**नाम गवाह**	**गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज**
पी.डब्ल्यू. 01	युसुफ खां	–
पी.डब्ल्यू. 02	सिकंदर	–
पी.डब्ल्यू. 03	सद्दाम हुसैन	–
पी.डब्ल्यू. 04	मोहम्मद अयूब	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 05	निशारखां	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 06	सलीम	प्रदर्श पी 01 ता 04
पी.डब्ल्यू. 07	भंवरलाल	प्रदर्श पी 01 ता 04, 06 ता 32, 34 व 35
पी.डब्ल्यू. 08	डॉ. हरीश खत्री	प्रदर्श पी 37 व 38
पी.डब्ल्यू. 09	गोपालसिंह	प्रदर्श पी 23, 29, 35, 36 व 39

पी.डब्ल्यू. 10	बाबुलाल	प्रदर्श पी 26, 29, 30, 32, 33, 40 ता 42
पी.डब्ल्यू. 11	गोपीकिशन	प्रदर्श पी 11 ता 14
पी.डब्ल्यू. 12	ओमप्रकाश	–
पी.डब्ल्यू. 13	उदयसिंह	प्रदर्श पी 40 ता 47
पी.डब्ल्यू. 14	मेघाराम	प्रदर्श पी 30, 32 व 33
पी.डब्ल्यू. 15	दशरथ	प्रदर्श पी 25, 31 व 34
पी.डब्ल्यू. 16	चेतनराम	प्रदर्श पी 40 ता 47
पी.डब्ल्यू. 16	स्वरुपसिंह	प्रदर्श पी 31, 34 ता 36
पी.डब्ल्यू. 18	मगनखां	प्रदर्श पी 11, 13, 14, 48 ता 52
पी.डब्ल्यू. 19	मोहम्मद अली	प्रदर्श पी 48 ता 54
पी.डब्ल्यू. 20	जसाराम	प्रदर्श पी 12
पी.डब्ल्यू. 21	नरपत कुमार	प्रदर्श पी 55 ता 70
पी.डब्ल्यू. 22	दीनाराम	प्रदर्श पी 26, 41 व 42
पी.डब्ल्यू. 23	पुष्पेन्द्र	प्रदर्श पी 35, 39, 40 ता 54, 71 ता 81

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श पी 01	फर्द पंचनामा
प्रदर्श पी 02	फर्द सूरतहाल लाश
प्रदर्श पी 03	फर्द नक्शा मौका
प्रदर्श पी 04	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश
प्रदर्श पी 05	पुलिस रिपोर्ट
प्रदर्श पी 06	फर्द जब्ती खून आलूंदा पत्थर
प्रदर्श पी 07	फर्द जब्ती साढे तीन किलो का पत्थर खून से सना हुआ व एफएसएल द्वारा गॉल पट्टी पर लिया गया खून
प्रदर्श पी 08	फर्द जब्ती नौ किलो वजन का पत्थर खून से सना हुआ मय एफएसएल से गॉल पट्टी पर लिया गया खून
प्रदर्श पी 09	फर्द जब्ती खून आलूंदा मिट्टी, सादा मिट्टी व एक टोपाज ब्लेड
प्रदर्श पी 10	फर्द जब्ती सड़क पर मिला खून
प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती लाश के पास पड़ी चप्पल जोड़ी इंडस कंपनी की पुरानी टूटी हुई
प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती मृतक के खून आलूंदा कपड़े
प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती खून आलूंदा मिट्टी
प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती के.जी.एन. होटल के पास सड़क पर गिरे खून को गॉल पट्टी पर लिया
प्रदर्श पी 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 21	एफएसएल भेजने हेतु थाने का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 22, 23, 24, 25 व 26	माल एफएसएल भेजने हेतु रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 27/1 ता	मालखाना जमा करवाने हेतु मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित

27/5	प्रति
प्रदर्श पी 28 ता 31	माल बाडमेर पुलिस अधीक्षक से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 32	माल जमा की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 33	रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 34 व 35	माल जमा की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 36	माल बाडमेर पुलिस अधीक्षक से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 37 व 38	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रदर्श पी 39	रोड सर्टिफिकेट क्रमांक 212
प्रदर्श पी 40	एफएसएल जमा प्राप्ति रसीद
पुनः प्रदर्श पी 40	फर्द ईत्तला अभियुक्त इलियास के वक्त घटना पहने हुए कपडे व जूते छिपाने का स्थान
पुनः प्रदर्श पी 41	फर्द ईत्तला अभियुक्त इलियास द्वारा उसके व अभियुक्त हैदर अली द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर, उसकी पत्थर मारकर हत्या करने का स्थान
प्रदर्श पी 41	एसपी ऑफिस बाडमेर का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 42	प्राप्ति रसीद
पुनः प्रदर्श पी 42	फर्द ईत्तला अभियुक्त हैदर अली द्वारा उसके व अभियुक्त इलियास द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर उसकी पत्थर मारकर हत्या करने तथा पेट पर ब्लेड से कट मारने का स्थान
प्रदर्श पी 43	फर्द ईत्तला अभियुक्त हैदर अली के वक्त घटना पहने हुए कपडे छिपाने का स्थान
प्रदर्श पी 44	फर्द ईत्तला अभियुक्त इलियास द्वारा उसके व अभियुक्त हैदर अली द्वारा मृतक के साथ जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर सिर पर चोट कारित की, वह लाठी उन्होंने पानी की टंकी के पास घनी बबूल की झाडियों में डालने का स्थान
प्रदर्श पी 45	फर्द ईत्तला अभियुक्त हैदर अली द्वारा उसके व इलियास द्वारा मृतक के साथ जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर सिर पर चोट कारित की थी, वह लाठी उन्होंने पानी की टंकी के पास घनी बबूल की झाडियों में डालने का स्थान
प्रदर्श पी 46	फर्द ईत्तला घटनास्थल प्रथम केजीएन होटल के सामने मुलजिम इलियास व हैदर अली की निशानदेही से देखना
प्रदर्श पी 47	फर्द ईत्तला घटनास्थल द्वितीय मुस्लिम खेल मैदान मुलजिम इलियास व हैदर अली की निशानदेही से देखना
प्रदर्श पी 48	फर्द जब्ती अभियुक्त इलियास के वक्त घटना पहने पाश्चात जूते जिन पर खून के छींटे लगे थे
प्रदर्श पी 49	फर्ज जब्ती अभियुक्त हैदर के वक्त घटना पहले पाश्चात टी–शर्ट व जींस पेंट जिन पर खून के छींटे लगे हुए थे
प्रदर्श पी 50	फर्द जब्ती मुलजिम हैदर की निशादेही से उसके शकुनत से एक मोटरसाईकिल पल्सर कंपनी की बरंग काला जिस पर जगह–जगह खून लगा हुआ था

प्रदर्श पी 51	फर्द नजरी नक्शा मोटरसाईकिल
प्रदर्श पी 52	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल अभियुक्त इलियास की निशादेही से जिस जगह से जूते व पाश्चात जब्त किए थे
प्रदर्श पी 53 व 54	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण क्रमशः इलियास व हैदर अली
प्रदर्श पी 55	फोटोग्राफ्स भेजने का पत्र
प्रदर्श पी 56 ता 70	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी 71	पीएमओ नाहटा अस्पताल बालोतरा को मेडिकल बोर्ड से अंतिम राय हेतु प्रेषित पत्र
प्रदर्श पी 72	हिस्टोपेथोलॉजी जांच रिपोर्ट
प्रदर्श पी 73 व 74	एफएसएल रिपोर्ट सिरोलॉजिकल विभाग
प्रदर्श पी 75 व 76	धारा 65 बी(4) प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी 77	घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर मोटरसाईकिल से संबंधित ऑनलाईन रिकॉर्ड
प्रदर्श पी 78	अभियुक्तगण इलियास व हैदर का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी 79	मोबाईल फोरेंसिग रिपोर्ट बाडमेर द्वारा भेजी गई घटनास्थल की रिपोर्ट
प्रदर्श पी 80	मोबाईल फोरेंसिक यूनिट की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट
प्रदर्श पी 81	एफएसएल जोधपुर के सिरोलॉजिकल विभाग की रिपोर्ट

6. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए आपसी रंजिश के कारण उसके विरुद्ध कथन करना, स्वयं का निर्दोष होना, झूँठा फंसाया जाना तथा कोई अपराध नहीं करना कथन किया । प्रतिरक्षा में बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण चश्मदीद गवाहों के कथनों पर आधारित नहीं होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है एवं प्रकरण में अभियुक्तगण की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक की गई है । प्रदर्श पी 48 के इलियास के पारचात व जूते, प्रदर्श पी 49 के हैदर अली के पारचात व प्रदर्श पी 50 के हैदर अली के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल पल्सर बरामद करने का तथ्य साबित है जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 13 उदयसिंह व पीडब्ल्यू 16 चेतनराम ने अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल की तस्दीक करवाए जाने बाबत तथा पीडब्ल्यू 18 मगन खां ने बरामदगी बाबत सुस्पष्ट कथन किए हैं एवं उनकी जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो गवाहों द्वारा उनके समक्ष घटनास्थल तस्दीक करवाए जाने व बरामदगी के तथ्यों को अविश्वसनीय बनाता

हो। पीडब्ल्यू 13 उदयसिंह, पीडब्ल्यू 16 चेतनराम या पीडब्ल्यू 18 मगन खां की अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई रंजिश भी होना साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है जिससे उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य दिए जाने का कोई कारण हो । पीडब्ल्यू 23 पुष्पेन्द्र अनुसंधान अधिकारी ने भी अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर घटनास्थल तस्दीक किए जाने का तथ्य साबित किया है । अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित होना बताते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया ।

9. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा मेहबूब की हत्या किए जाने बाबत कोई संदेह होना भी नहीं बताया है । पीडब्ल्यू 01 युसुफ खां, पीडब्ल्यू 02 सिकंदर तथा पीडब्ल्यू 03 सद्दाम हुसैन जो कि मृतक के भाई हैं, उन्होंने जिरह में भी यह कथन किया है कि मुलजिमान द्वारा हत्या करने का उन्हें कोई शक नहीं था और मुलजिमान द्वारा मेहबूब की हत्या नहीं की थी ।

10. यह भी तर्क दिया कि है कि पंचनामे के गवाह पीडब्ल्यू 04 मोहम्मद अयूब, पीडब्ल्यू 05 निसार खां तथा पंचनामा व घटनास्थल निरीक्षण का गवाह पीडब्ल्यू 06 सलीम भी पक्षद्रोही हुआ हैं जिन्होंने उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करना कथन किया है।

11. यह भी तर्क दिया कि मृतक मेहबूब की मृत्यु कैसे हुई उसके कारण के बाबत भी कोई निश्चितता नहीं है । शव परीक्षण रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने पर मृतक के विसराज हिस्टोपैथोलोजिकल जांच हेतु भेजना एवं उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृत्यु के कारण के बारे में राय दिए जाने का अंकन है लेकिन हिस्टोपैथोलोजिकल रिपोर्ट से भी मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हुआ था ।

12. यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है जो अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ती हो । अभियुक्तगण की मृतक के साथ किसी प्रकार की रंजिश होना या हत्या कारित करने के लिए कोई हेतुक होना भी साबित नहीं है न ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की श्रृंखला से अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता ही साबित होती है । अंत में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होना बताते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया ।

13. उभय पक्षकारान की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्षमता से अध्ययन एवं अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

14. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न हैः–

1. "आया अभियुक्तगण ने दिनांक 09.09.2018–10.09.2018 की मध्य दरम्यिानी रात्रि में किसी समय सरहद मौजा कृषि परिसर बालोतरा के सामने स्थित केजीएन होटल के सामने दीगर अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मेहबूब पुत्र मुसे खां के साथ मारपीट कर उसे मौजा मूंगड़ा रोड़ स्थित मुस्लिम खेल मैदान में ले जाकर उसके साथ पत्थरों व लाठी से मारपीट कर एवं उसका पेट ब्लेड से काटकर साशय हत्या कारित की" ?

2. "आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दीगर अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मेहबूब के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित करने में प्रयुक्त बबूल की लाठी के बाबत् पुलिस को यह मिथ्या ईत्तला दी कि जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर मेहबूब के सिर पर चोट कारित की थी, वह लाठी पानी की टंकी के पास घनी बबूल की झाडियों में डाली थी, लेकिन अभियुक्तगण ने स्वयं को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से उस लाठी को गायब/नष्ट कर अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया " ?

3. "यदि उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न का उत्तर सकारात्मक पाया जाता है, तो उचित दण्ड क्या होगा" ?

15. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाये जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 24 गवाहों (पीडब्ल्यू 16 सहवन से दो गवाहों पर अंकित हुआ है) को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 81 प्रदर्शित करवाये हैं।

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाक्याती साक्षियों की साक्ष्य निम्न प्रकार है</u> :–

16. पीडब्ल्यू 01 युसुफ खां मृतक मेहबूब का भाई है, ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसका भाई मेहबूब स्वभाव से भोला था। उसके बयान से लगभग पांच साल पहले सुबह 07.00 बजे उसे शहनाज ने बताया कि मुस्लिम मैदान में एक लाश पड़ी है, तब वह वहां पर गया और उसने उसके भाई की लाश देखी थी। उसने यह बात भाई

फिरोज को बतायी । मेहबूब की हत्या कर किसी ने मैदान में लाश फेंक दी । लाश के पास चप्पल और पत्थर पड़े थे ।

जिरह में यह कथन किया है कि मुलजिमान के द्वारा हत्या करने बाबत उसे कोई शक नहीं था और हाजिर अदालत मुलजिमान ने उसके भाई मेहबूब की हत्या नहीं की थी ।

17. पीडब्ल्यू 02 सिकंदर व पीडब्ल्यू 03 सद्दाम हुसैन भी मृतक मेहबूब के भाई हैं ,ने मुख्य परीक्षण में समान कथन किये हैं कि उसका भाई मेहबूब दस–पन्द्रह सालों से स्वभाव से भोला था और रात्रि को ग्यारह–बारह बजे घर आता था । साक्ष्य दिवस से लगभग पांच साल पहले उसे शहनाज ने बताया कि मुस्लिम मैदान में एक लाश पड़ी है, तब सलीम मुस्लिम खेल मैदान में गया तब देखा कि उसके भाई की लाश पड़ी थी, तब वह भी वहां पर दौड़कर गया और फिरोज को बताया कि मेहबूब की किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर लाश फेंक दी है । उसने लाश देखी थी । लाश के सिर पर गहरा घाव लगा हुआ, पेट चीरा हुआ व शर्ट खून से सना हुआ था । लाश के पास चप्पल और पत्थर पड़े थे जिन पर खून लगा हुआ था । उसके भाई मेहबूब की पाँच साल पहले अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर लाश मोहम्मडन ग्राउण्ड में फेंक दी थी ।

जिरह में यह कथन किया है कि मुलजिमान के द्वारा हत्या करने बाबत उन्हें कोई शक नहीं था और हाजिर अदालत मुलजिमान ने उसके भाई मेहबूब की हत्या नहीं की थी ।

18. पीडब्ल्यू 12 ओमप्रकाश ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह उसके परिवार के साथ वार्ड संख्या 01 भील बस्ती जसोल में रहता है । वह अनपढ़ है । उसके बयान से सात साल पहले उसने बोम्बे मोटर चैराहा, जोधपुर से 21,000/– रूपये में एक प्लसर मोटरसाईकिल खरीदी थी । वह मोटरसाईकिल लेकर उसकी बहन के घर जीरो फाटक के पास बालोतरा गया था । राजु भील व उसके बीच में लेनदेन थी । राजु भील उससे 600/– रूपये मांगता था । राजु भील के बुलाने पर वह जीरो फाटक गया था । राजु भील के साथ इलियास, हैदर व दो–तीन अन्य व्यक्ति मौजूद थे । ये लोग उसे बहला–फुसलाकर मूंगड़ा रोड़ पर स्थित मामाजी के थान लेकर गये जहां पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की व उसके दो फोन व प्लसर मोटरसाईकिल छीन ली । उसके बाद मुलजिमान ने उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर माजीसा मंदिर के पास जसोल छोड़ दिया ।

जिरह में यह कथन किया है कि उसने मोटरसाईकिल के कागजात पुलिस को दिये थे । उसके साथ हुई मारपीट की डॉक्टरी करवायी थी । इस कथन को स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का मौका नहीं देखा था । यह भी स्वीकार

किया है कि उसके साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन व उसकी मोटरसाईकिल के कागजात पत्रावली पर मौजूद नहीं है ।

19. पीडब्ल्यू 21 नरपत कुमार ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को एसपी ऑफिस बाडमेर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण में थानाधिकारी बालोतरा द्वारा प्रभारी कार्यप्रणाली शाखा बाडमेर को अपराध संख्या 342/18 में घटनास्थल के फोटोग्राफ्स एमओबी टीम द्वारा खींचे गए थे । फोटोग्राफस भिजवाने बाबत पत्र भेजा था जिस पर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर द्वारा घटनास्थल के 15 फोटो भेज गए थे । फोटोग्राफ्स भेजने का पत्र प्रदर्श पी 55 है । घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 56 से 70 है ।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के फोटो प्रदर्श पी 56 से 70 डिजिटल फोटो है । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आज के युग में डिजिटल फोटोग्राफ्स में परिवर्तन व सुधार किया जाता है या नहीं ।

चिकित्सीय साक्ष्य :-

20. पीडब्ल्यू 08 डॉ. हरीश खत्री ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को राज. नाहटा अस्पताल बालोतरा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था । उस रोज राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा के कार्यालय आदेश पर मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था । मृतक मेहबूब का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था, जिस मेडिकल बोर्ड का वह सदस्य था । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 37 पर ए से बी उसके, सी से डी मेडिकल बोर्ड के चैयरमेन डॉ वांकाराम चैधरी व ई से एफ बोर्ड के सदस्य डॉ. राकेश ओस्तवाल के हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर वह मेडिकल बोर्ड का सदस्य होने से पहचानता है । प्रदर्श पी 37 के जी से एच भाग पर मृतक के बाहरी चोटों का विवरण है । मृतक के शरीर में नाभि के नीचे एक 8 गुणा 20 सेमी का गहरा घाव था व मृतक की आंते घाव से बाहर आई हुई थी । घाव मृतक के राईट अपर थाई तक लगा हुआ था । मृतक के 3 गुणा 5 सेमी का घाव दांयी आंख के पास था और मृतक के लेफ्ट फ्रंटल बोन में फेक्चर था तथा 2 गुणा 4 सेमी का दाहिने कान के पास घाव था । मृतक के सिर के पीछे 2 गुणा 5 का घाव था । मृतक के पोस्टमार्टम के समय विसरा एफ.एस.एल. के लिए भेजे गये थे जिनका विवरण आई से जे है । जार नंबर 01 में हार्ट, दोनो लंगस, लीवर, प्लीहा, दोनो किडनी लिये व जार नंबर 02 में स्टमक विद इटस कंटेट व छोटी आंत लिये, जार नंबर 03 में पीस ऑफ बोथ लंगस एंड बोथ किडनीज, लीवर एंड प्लीहा लिये । प्रदर्श पी 37 में के से एल भाग में मेडिकल बोर्ड की राय थी । मेडिकल बोर्ड की राय अनुसार मृतक मेहबूब की मृत्यु का कारण एफ.एस.एल. रिपोर्ट व

हिस्टापैथोलॉजीकल रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता था । एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 है, जिस अनुसार मृतक के भेजे गये विसराज में मेटाबॉलिक पाइजनिक, ईथायल एंड मिथायल एल्कॉहॉल, साईनाईड, एल्केलॉइड़, बारबिच्यूरेट, ट्रेंक्यूलाईजर व पेस्टिसाइडस नहीं पाये गये थे ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि लाश उनके पास आई थी तब कुत्तों द्वारा नोची हुई व बिखरी अवस्था में थी । गवाह से यह प्रश्न किया गया है कि, **प्रश्न–** अगर तीन चार जंगली कुत्तों द्वारा किसी व्यक्ति को नोचा जाए और उससे अत्यधिक रक्त स्राव हो तो क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ? जिसका गवाह द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि अत्यधिक रक्त स्राव से मृत्यु हो सकती है ।

मालखाने व एफएसएल से संबंधित गवाहों की साक्ष्य :–

21. पीडब्ल्यू 19 मोहम्मद अली (मालखाना इंचार्ज है) का मुख्य परीक्षण में यह कथन है कि दिनांक 10.09.2018 को वह पुलिस थाना बालोतरा में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उसके पास मालखाने का चार्ज था । उस रोज थानाधिकारी ने सीलबंद पैकेट ए से आई व एस 1 से एस 3 पैकेट मालखाने में जमा करने हेतु सुपुर्द किए जिनका मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 464/2018 पर इन्द्राज कर जब्त माल जमा किया गया । दिनांक 12.09.2018 को कांस्टेबल जसाराम द्वारा तीन सीलबंद जार राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा से लाकर पेश किए जो मालखाना में जमा कर रजिस्टर के क्रम संख्या 467/2018 पर इन्द्राज किया । दिनांक 13.09.2018 को तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा सीलबंद पैकेट मार्क जे व के मालखाना में जमा करने हेतु सुपुर्द किए जो जमा मालखाना कर मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 468/2018 पर इन्द्राज किया । दिनांक 13.09.2018 को उक्त प्रकरण में जार संख्या 1 व 2 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु कांस्टेबल मेघाराम को सुपुर्द किए जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत जार दिनांक 14.09.2018 को अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति एसपी कार्यालय बाडमेर में जमा करवाकर मूल रसीद अनुसंधान अधिकारी को दी । दिनांक 13.09.2018 को प्रकरण संख्या 342/18 में जब्त एक जार विभागाध्यक्ष पैथोलोजिक विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाने हेतु कांस्टेबल गोपालसिंह को जार मय कागजात सुपुर्द किए जो कांस्टेबल गोपालसिंह ने जमा करवाकर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति एसपी कार्यालय में जमा करवाकर मूल रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की । दिनांक 26.09.2018 को उक्त प्रकरण में सीलबंद चार पैकेट जरिये रोड सर्टिफिकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु कांस्टेबल

दशरथ को सुपुर्द किए जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत उक्त चार पैकेट दिनांक 27.09.2018 को अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की । दिनांक 03.10.2018 को उक्त प्रकरण में सीलबंद छः पैकेट जरिये रोड सर्टिफिकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु कांस्टेबल दीनाराम को सुपुर्द किए जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत उक्त छः पैकेट कार्यालय अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की । दिनांक 20.10.2018 को उक्त प्रकरण में सीलबंद पैकेट एल, एम व बिना नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर को जमा मालखाना हेतु थानाधिकारी ने सुपुर्द किए जो जमा मालखाना कर रजिस्टर के क्रम संख्या 498/2018 पर इन्द्राज किया । दिनांक 14.11.2018 को तीन सीलबंद पैकेट व एक पल्सर मोटरसाइकिल कांस्टेबल गोपालसिंह को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किया जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर के मार्फत दिनांक 15.11.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाया व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर मय कागजात पुनः एसपी कार्यालय पहुंचकर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति जमा करवाकर असल प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की । दिनांक 19.10.2018 को अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण इलियास व हैदर अली को उसके व कांस्टेबल गोपीकिशन के रूबरू गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 53 व 54 मुर्तिब की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 20.10.2018 को अनुसंधान अधिकारी ने वक्त घटना अभियुक्त इलियास के पहने हुए एडिडास जूते व पारचात जिन पर जगह–जगह खून लगा हुआ उसके व मगन खां के रूबरू जब्त कर एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क एल अंकित किया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 48 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त हैदर अली के वक्त घटना पहने पारचात जिन पर जगह–जगह खून लगा हुआ था उसके व मगन खां के रूबरू जब्त कर एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क एम अंकित किया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 49 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर खून लगा हुआ था उसके व मगन खां के रूबरू अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम हैदर अली से बरामद की थी । फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 50 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज इतला के मुताबिक अभियुक्त हैदर अली की निशादेही से अनुसंधान अधिकारी ने जहां से पल्सर मोटरसाइकिल व पारचात बरामद किए थे उस जगह का फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल का उसके व मगन खां के रूबरू मुर्तिब किया था । फर्द बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श पी 51 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । मुलजिम

इलियास की निशादेही से घटना के वक्त पहने जूते व पारचात जहां से अनुसंधान अधिकारी ने बरामद किए थे उस स्थान का उसके व मगन खां के रूबरू नक्शा नजरी मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 52 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि पैकेट एस 1 से एस 3 पर मार्क एस 1 से एस 3 के अलावा अन्य कोई इबारत लिखी हुई नहीं हो । उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 48 के द्वारा जूते बरामद किए उसकी फोटोग्राफी करवाई थी या नहीं । इस कथन को स्वीकार किया है कि फर्द प्रदर्श पी 50 में बरामदशुदा मोटरसाइकिल के दस्तावेज देखने का उसके काम नहीं पड़ा । इस कथन को स्वीकार किया है कि फर्द प्रदर्श पी 51 व 52 बरामदगी स्थल के आस–पास लोगों के रहवासीय स्थान हैं व थोडी दूरी पर मुख्य सडक है जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है ।

22. पीडब्ल्यू 09 गोपालसिंह प्रकरण से संबंधित जब्तशुदा माल एफएसएल में जमा करवाने का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 13.09.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कॉन्सटेबल के पद पर कार्यरत था । उस रोज बालोतरा के प्रकरण संख्या 342/2018 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.द.सं. में एक सीलबंद जार जरिये रोड़ नं. 156 दिनांक 13.09.2018 एस एन मेडिकल कॉलेज में जमा करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र तत्कालीन मालखाना प्रभारी मोहम्मद अली ने उसे सुपुर्द किया जिस पर बालोतरा से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक बाड़मेर में एफ एस एल शाखा में कार्यरत बाबूलाल कॉन्सटेबल को सीलबंद हालत में एक जार व दस्तावेजात सुपुर्द किये जिस पर बाबूलाल कॉन्सटेबल ने जार को जमा करवाने हेतु एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र जरिये क्रमांक 1502 तैयार कर उसे सुपुर्द किया । उसने दिनांक 14.09.2018 को कार्यालय विभागाध्यक्ष पैथोलोजिक विभाग एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर पहुंच जार जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर जिला पुलिस कार्यालय बाड़मेर में माल जमा की प्राप्ति रसीद की प्रति देकर वापस बालोतरा थाने गया था । रोड़ नं. 156 प्रदर्श पी 23 पर सी से डी व पैथोलोजी विभाग एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 29 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है । दिनांक 14.11.2018 को उक्त प्रकरण के तीन सीलबंद पैकेट व एक मोटर साईकल पल्सर बिना नंबरी को जरिये रोड़ नं. 212 दिनांक 14.11.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने हेतु एस पी बाड़मेर का अग्रेषण पत्र जारी कर माल खाना प्रभारी मोहम्मद अली ने उसे सुपुर्द किया जिस पर उसने बाड़मेर एफ एस एल शाखा में पहुंचकर स्वरूप सिंह हेड कॉन्सटेबल को उक्त तीन सीलबंद पैकेट व एक मोटर साईकल पल्सर बिना नंबरी व मुर्तिब दस्तावेजात सुपुर्द किये

जिस पर स्वरूपसिंह हेड कॉन्सटेबल ने अतिरिक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम का अग्रेषण पत्र क्रमांक 1850 जारी कर उसे सुपुर्द किया। उसने दिनांक 15.11.2018 को प्रयोगशाला पहुंच माल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद जरिये क्रमांक 157 दिनांक 15.11.2018 प्राप्त कर रवाना होकर बाड़मेर पहुंच जमा बाबत प्राप्ति रसीद की प्रति देकर बालोतरा थाने लाया। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 35 है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 36 व रोड़ सर्टिफिकेट क्रमांक 212 प्रदर्श पी 39 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में यह कथन किया है कि पैकेट में कितनी सीलें व क्या हॉल मार्क लगा हुआ था, आज उसे याद नहीं है। माल उसके पास थाने से रवाना होकर एफ एस एल शाखा में जमा करवाने तक 24 घण्टे तक रहा था। इस कथन को गलत बताया है कि जब तक माल उसके पास रहा तब तक सीलबंद हालत में नहीं रहा हो। यह स्वीकार किया है कि थाने से एस पी शाखा में माल एफ एस एल जमा करवाने के अग्रेषण पत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

23. पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल का कथन है कि दिनांक 13.09.2018 को वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर में एफएसएल शाखा में कॉन्सटेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज, पुलिस थाना बालोतरा में दर्ज प्रकरण संख्या 342 दिनांक 10.09.2018 से संबंधित दो जार जरिये रोड़ नंबर 155 दिनांक 13.09.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जांच हेतु जमा करवाने के लिए मय अग्रेषण पत्र के कॉन्सटेबल मेघाराम लेकर आया। मेघाराम द्वारा पेश दो जार एवं पुलिस थाना बालोतरा के अग्रेषण पत्र की जांच कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र तैयार कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर जार मय दस्तावेज विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किये। मेघाराम दो जार लेकर आया जो सीलबंद हालत में थे तथा उसके पास जब तक सेंपल रहे सीलबंद हालत में रहे। मेघाराम विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेंपल जमा करवाकर रसीद लेकर आया जिसकी फोटोप्रति एसपी कार्यालय में रखकर मूल रसीद थाने में पेश करने हेतु दे दी। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 32 है।रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 33 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 30 पर ए से बी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। उसी रोज एक सीलबंद जार जरिये रोड़ नंबर 156 दिनांक 13.09.2018 को एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाने हेतु पुलिस थाना बालोतरा का पत्र कानि. गोपालसिंह लेकर आया। उसके द्वारा विभागाध्यक्ष पेथोलोजिकल विभाग एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र मुर्तिब कर कॉन्सटेबल गोपालसिंह को सुपुर्द किया। गोपालसिंह एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में सेंपल जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर आया । प्राप्ति रसीद की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखकर मूल रसीद गोपालसिंह को सुपुर्द की । एस पी ऑफिस बाड़मेर के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 29 पर सी से डी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है । रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 23 है पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । एफएसएल जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 40 है । इसी प्रकरण में दिनांक 03.10.2018 को 06 पैकेट मय कागजात के जरिये रोड़ नंबर 180 कॉन्सटेबल दीनाराम लेकर आया जिस पर उसने कागजात व सेंपल जांच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम का अग्रेषण पत्र तैयार कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर कॉन्सटेबल दीनाराम को सुपुर्द किया । एस पी ऑफिस बाड़मेर के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 41 पर ए से बी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है । प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 42 है । असल रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 26 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । सेंपल जब तक उसके पास रहे सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहे व उसी हालत में कॉन्सटेबल मेघाराम, गोपालसिंह व दीनाराम को सुपुर्द किये थे ।

जिरह में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी 33 कांस्टेबल मेघाराम, प्रदर्श पी 23 कांस्टेबल गोपालसिंह व प्रदर्श पी 26 कांस्टेबल दीनाराम उसके पास कितने बजे लेकर आये थे समय आज याद नहीं है । उक्त सीलबंद पैकेटों पर कितनी व कैसी सीलें लगी हुई थी उसे याद नहीं है । प्रदर्श 33, 23 व 26 के पैकेट्स उसके पास कुल कितने समय तक रहे याद नहीं हैं अज खुद कहा कि जब तक उसके पास रहे सीलबंद अवस्था में रहे । उक्त पैकेट्स के अलावा अन्य थानों से कितने सेंपलों के पैकेट आये थे, आज उसे याद नहीं है ।

24. पीडब्ल्यू 14 मेघाराम प्रकरण में जब्तशुदा माल एफएसएल में जमा करवाने का गवाह है, का मुख्य परीक्षण में यह कथन रहा है कि वह, दिनांक 13.09.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण संख्या 342/2018 में मालखाना इंचार्ज मोहम्मद अली ने प्रकरण में जब्त जार संख्या 1 व 2 जरिये रोड नंबर 155 दिनांक 13.09.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर के मार्फत दिनांक 14.09.2018 को अतिरिक्त क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में इस प्रकरण में जब्त जमा माल मय कागजात जमा करवाकर असल प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उसी रोज पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर पहुंचकर एफएसएल शाखा में तैनात बाबूलाल कांस्टेबल को प्राप्ति रसीद की छायाप्रति सुपुर्द की । असल प्राप्ति रसीद मय कागजात थाना पहुंचकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किए । पुलिस अधीक्षक बाडमेर का अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि

विज्ञान प्रयोगशाला के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 30 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । असल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 32 व रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 33 है । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहा ।

जिरह में यह कथन किया है कि सीलबंद पैकेट पर कुल कितनी सीलें लगी थी आज उसे याद नहीं है । सीलबंद पैकेट पर होलमार्क क्या लगा था उसे आज याद नहीं है । उसके पास सीलबंद पैकेट के अलावा दो जार थे ।

25. पीडब्ल्यू 15 दशरथ भी प्रकरण में जब्तशुदा माल एफएसएल में जमा करवाने का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 26.09.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण संख्या 342/2018 में मालखाना इंचार्ज मोहम्मद अली ने प्रकरण में सीलबंद 6 पैकेट जरिये रोड, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु दिये जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर पहुंचकर एफएसएल शाखा में तैनात हेडकांस्टेबल स्वरूपसिंह को सीलबंद 6 पैकेट मय कागजात सुपुर्द किए । स्वरूपसिंह ने पुलिस अधीक्षक बाडमेर का अग्रेषण पत्र अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम मय कागजात कुल सीलबंद 6 पैकेट उसे सुपुर्द किए । दिनांक 27.09.2018 को एफएसएल जोधपुर पहुंचकर प्रकरण में जब्त सीलबंद 6 पैकेट जमा करवाकर असल प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर पहुंचकर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति एफएसएल शाखा में जमा करवाकर थाना बालोतरा पहुंचकर मालखाना इंचार्ज बालोतरा को असल प्राप्ति रसीद मय कागजात सुपुर्द किए । रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 25 है । जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर का अतिरिक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 31 पर ए से बी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है । प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 34 है । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहा।

जिरह में इस कथन को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 31 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । सीलबंद पैकेट पर कुल कितनी सीलें थी और होलमार्क क्या था उसे आज याद नहीं है । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 25 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है ।

26. पीडब्ल्यू 16 स्वरूपसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 26.09.2018 को एसपी ऑफिस बाडमेर में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उसके पास एफएसएल संबंधी चार्ज था । उस दिन पुलिस थाना बालोतरा से कांस्टेबल दशरथ मुकदमा नंबर 342/18 से संबंधित 6 सीलबंद पैकेट मय कागजात के एफएसएल परीक्षण करवाने हेतु लेकर आया जिस पर अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान

प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के हस्ताक्षर करवा एफएसएल हेतु सुपुर्द किए । कांस्टेबल दशरथ ने एफएसएल में सेंपल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की एवं प्राप्ति रसीद की छायाप्रति उसे सुपुर्द की । असल प्राप्ति रसीद लेकर कांस्टेबल दशरथ पुनः थाने लौटा । दिनांक 14.11.2018 को इसी प्रकरण में कांस्टेबल गोपालसिंह 3 सीलबंद पैकेट व एक मोटरसाइकिल एफएसएल परीक्षण हेतु लेकर आया जिस पर अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के हस्ताक्षर करवा एफएसएल हेतु सुपुर्द किए । कांस्टेबल गोपालसिंह ने एफएसएल में सेंपल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की एवं प्राप्ति रसीद की छायाप्रति उसे सुपुर्द की । असल प्राप्ति रसीद लेकर कांस्टेबल गोपालसिंह थाने लौटा । पुलिस अधीक्षक बाडमेर का अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 31 व 36 है । प्रदर्श पी 36 पर सी से डी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है । प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 34 व 35 है । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहा।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 31 का माल उसके पास कितने बजे आया था समय याद नहीं है अजखुद कहा कार्यालय समय में आया था । इस कथन को सही बताया है कि एफएसएल में जमा करवाने वाले पैकेट पर कैसी व किसकी सील लगी हुई थी आज उसे याद नहीं है । एफएसएल में जमा करवाने लाए सेंपल कितने समय तक उसके पास रहे वह नहीं बता सकता, कार्यालय समय में रहा था । इस कथन को गलत बताया है कि प्रदर्श पी 31 व 36 का माल उसके पास नहीं आया हो ।

27. पीडब्ल्यू 22 दीनाराम प्रकरण में जब्तशुदा माल एफएसएल में जमा करवाने का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 03.10.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण सं. 342/18 में मालखाना प्रभारी मोहम्मद अली ने प्रकरण में जब्त छः सीलबन्द पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाने हेतु उसे सुपुर्द किए थे जो उसी रोज लेकर एस.पी कार्यालय बाडमेर पहुंचकर एफ.एस.एल शाखा में तैनात बाबूलाल कॉन्सटेबल को सुपुर्द किए जिन्होंने अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाल जोधपुर के नाम अग्रेषित पत्र तैयार कर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर पुनः छः सीलबन्द पैकेट उसे सुपुर्द किए जिसे वह दिनांक 04.10.2018 को कार्यालय अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाल जोधपुर पहुंचकर छः सीलबन्द पैकेट मय कागजात जमा की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुनः एस.पी कार्यालय पहुंचकर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति एस.पी कार्यालय में जमा करवाकर असल प्राप्ति रसीद मय कागजात थाने

पहुचंकर मालखाना इन्जार्च को सुपुर्द किए । माल जब्त तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहा । पुलिस अधीक्षक बाडमेर का अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 41 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 42 व रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 26 है ।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 26 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । प्रत्येक सीलबंद पैकेट पर कुल कितनी सीलें लगी हुई थी आज उसे याद नहीं है । सीलबंद पैकेट उसके पास एक दिन के लिए रहे । सीलबंद पैकेट के अलावा उसके पास मुर्तिबशुदा कागजात थे ।

<u>मौका तस्दीक व 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना आदि से संबंधित गवाहों की साक्ष्य</u> :–

28. पीडब्ल्यू 13 उदयसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 20.10.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण संख्या 342/2018 धारा 302, 201 भा.द.स. पुलिस थाना बालोतरा में अनुसंधान अधिकारी पुष्पेन्द्र वर्मा निरीक्षक पुलिस द्वारा उसके व चेतनराम के रूबरू आरोपी इलियास द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इतला तथा आरोपी हैदर अली द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इतला की फर्द मुर्तिब की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी 40 से 45 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उस रोज अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके व चेतनराम के रूबरू आरोपी इलियास व हैदर अली की निशादेही से मृतक मेहबूब के साथ मारपीट करने के स्थान केजीएन होटल तथा मृतक मेहबूब को मुस्लिम खेल मैदान में सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने तथा पेट पर कट मारने के स्थानों की मौका तस्दीक करवाई जाकर फर्द मौका तस्दीक मुर्तिब की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी 46 व 47 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 44 व 45 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 40 व 43 में उल्लेखित घर किसके हक मालिकाना का है दस्तावेज देखने का उसके काम नहीं पड़ा । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 41 में उल्लेखित स्थान मुख्य खुली सडक है । यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम खेल मैदान खुला स्थान है ।

29. पीडब्ल्यू 16 चेतनराम ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 20.10.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण संख्या 342/2018 धारा 302, 201 भा.द.स. पुलिस थाना बालोतरा में अनुसंधान अधिकारी पुष्पेन्द्र वर्मा निरीक्षक पुलिस द्वारा उसके व उदयसिंह के रूबरू आरोपी इलियास द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इतला तथा आरोपी

हैदर अली द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इतला की फर्द मुर्तिब की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी 40 से 45 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उस रोज अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके व उदयसिंह के रूबरू आरोपी इलियास व हैदर अली की निशादेही से मृतक मेहबूब के साथ मारपीट करने के स्थान केजीएन होटल तथा मृतक मेहबूब को मुस्लिम खेल मैदान में सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने तथा पेट पर कट मारने के स्थानों की मौका तस्दीक करवाई जाकर फर्द मौका तस्दीक मुर्तिब की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी 46 व 47 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 44 व 45 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 40 व 43 में उल्लेखित घर किसके हक मालिकाना का है दस्तावेज देखने का उसके काम नहीं पड़ा । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 41 में उल्लेखित स्थान मुख्य खुली सडक है । यह भी स्वीकार किया है कि मुस्लिम खेल मैदान खुला स्थान है ।

<u>वजह सबूत व पारचात जब्ती से संबंधित गवाहों की साक्ष्य</u> :–

30. पीडब्ल्यू 11 गोपीकिशन ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था । उस रोज बालोतरा थाने के प्रकरण संख्या 342/2018 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.द.स. में अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल से उसके व मगन खां के रूबरू एक इंडस कंपनी की इस्तेमाल की हुई चप्पल की जोड़ी जब्त की थी । जब्तशुदा चप्पल की फर्द प्रदर्श पी 11 मुर्तिब की जाकर सील चेपा कर मार्क एच अंकित किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने उसके व जसाराम कानि. के रूबरू मृतक मेहबूब की पोस्टमार्टम के पश्चात् पहने पारचात पेंट व शर्ट जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 जब्त कर मार्क आई अंकित किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 13.09.2018 को उसके व मगनखां के रूबरू घटनास्थल से थानाधिकारी ने खून आलूंदा मिट्टी जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 के जब्त कर मार्क जे अंकित किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने उसके व मगन खां ए.एस.आई के रूबरू घटनास्थल के पड़ोस में केजीएन होटल के आगे डामर सड़क को तोड़कर लिया टुकड़ा जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 के जब्त कर मार्क के अंकित किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी11, प्रदर्श पी13 व प्रदर्श पी14 में उल्लेखित जगह एक खुला स्थान है, जहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है । स्वतंत्र

गवाह उपलब्ध था या नहीं उसे जानकारी नहीं है । प्रदर्श पी 12 में उल्लेखित कपड़े आदि मोर्चरी में जब्त किये थे ।

31. पीडब्ल्यू 20 जसाराम ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण में मृतक महबूब के वक्त घटना पहने पारचात एक शर्ट व पेंट हरिराम ने मुर्दा घर, राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में उसके व गोपीकिशन के रूबरू अनुसंधान अधिकारी को पेश किए थे, जिन्हें एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क आई अंकित किया था । फर्द जब्ती पारचात प्रदर्श पी 12 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि फर्द प्रदर्श पी 12 पर उसने पढकर हस्ताक्षर किए थे । इस कथन को सही बताया है कि फर्द प्रदर्श पी 12 में मृतक के कपड़ों पर खून लगा होना लिखा हुआ नहीं है ।

32. पीडब्ल्यू 18 मगन खां ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को एएसआई के पद पर पुलिस थाना बालोतरा में पदस्थापित था । उस रोज प्रकरण संख्या 342/18 में मृतक इलियास के वक्त घटना पहने चप्पल घटनास्थल से अनुसंधान अधिकारी ने उसके व गोपीकिशन के रूबरू जब्त कर सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचैपा कर मार्क 'एच' अंकित किया था । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व 'एक्स' स्थान पर नमूना सील अंकित है । दिनांक 13.09.2018 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके व गोपीकिशन के रूबरू घटनास्थल से खून आलूंदा मिट्टी वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु जब्त की जिसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'जे' अंकित किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज घटनास्थल केजीएन होटल के सामने डामर सडक से अनुसंधान अधिकारी ने जिस जगह सडक पर खून गिरा उस डामर सडक का टुकडा एफएसएल जांच हेतु जब्त किया था जिसे प्लास्टिक की डिब्बी में कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'के' अंकित किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 20.10.2018 को अनुसंधान अधिकारी ने वक्त घटना अभियुक्त इलियास के पहने हुए एडिडास जूते व पारचात जिन पर जगह–जगह खून लगा हुआ था उसके व मोहम्मद अली के रूबरू जब्त कर एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'एल' अंकित किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 48 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त हैदर अली के, वक्त घटना पहनी पारचात पर जगह–जगह खून लगा हुआ था, उसके व मोहम्मद अली के रूबरू

जब्त कर एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'एम' अंकित किया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 49 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर खून लगा हुआ था उसके व मोहम्मद अली के रूबरू अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम हैदर अली से बरामद की थी । फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 50 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उसी रोज इतला के मुताबिक अभियुक्त हैदर अली की निशादेही से अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में जहां से पल्सर मोटरसाइकिल व पारचात बरामद किए थे उस जगह का फर्द नक्शा नजरी मौका बरामदगी स्थल का उसके व मोहम्मद अली के रूबरू मुर्तिब किया था, फर्द बरामदगी नक्शा नजरी प्रदर्श पी 51 है पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । मुलजिम इलियास की निशादेही से घटना के वक्त पहने जूते व पारचात जहां से अनुसंधान अधिकारी ने बरामद किए थे उस स्थान का उसके व मोहम्मद अली के रूबरू नक्शा नजरी बरामदगी स्थल मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 52 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि फर्द प्रदर्श पी 11 में यह लिखा हुआ नहीं है कि बरामद चप्पल अभियुक्त का था या मृतक का । यह स्वीकार किया है कि फर्द प्रदर्श पी 11 में फर्द मुर्तिब करने का समय अंकित नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि फर्द प्रदर्श पी 13 व 14 बरामदगी स्थल के बीच में दूरी है । इस कथन को स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल फर्द प्रदर्श पी 13 खेल का मैदान है । उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 48 में जूते बरामद किए उसकी फोटोग्राफी करवाई थी या नहीं । यह स्वीकार किया है कि फर्द प्रदर्श पी 50 में बरामदशुदा मोटरसाइकिल के दस्तावेज देखने का उसके काम नहीं पड़ा । इस कथन को सही बताया है कि फर्द प्रदर्श पी 51 व 52 बरामदगी स्थल के आस–पास लोगों का रहवासीय स्थान है व थोडी दूरी पर मुख्य सडक है जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है ।

<u>मृतक की लाश के पंचनामा के गवाह</u> :–

33. पीडब्ल्यू 04 मोहम्मद अयुब, पीडब्ल्यू 05 निशार खां व पीडब्ल्यू 06 सलीम मृतक की लाश की पंचनामा फर्द मुर्तिब करने संबंधी साक्षी हैं, जो तीनों पक्षद्रोही रहे हैं और मुख्य परीक्षण में मृतक मेहबूब की फर्द पंचनामा लाश उनके सामने बनाने से इन्कार किया है तथा सलीम ने उसके भाई मेहबूब की लाश का पंचनामा व सुपुर्दगीनामा फर्द पुलिस द्वारा बनाने से इन्कार किया है ।

जिरह में फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 01 पर उनके हस्ताक्षर पुलिस ने खाली कागजों पर करवाना कथन किया है । पीडब्ल्यू 06 सलीम ने प्रदर्श पी 01 फर्द पंचनामा लाश, प्रदर्श पी 02 फर्द सूरतहाल लाश, प्रदर्श पी 03 फर्द नक्शा मौका व प्रदर्श

पी 04 फर्द सुपुर्दगीनामा लाश पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने खाली कागजों पर पुलिस थाना बालोतरा में करवाना कथन किया है ।

<u>प्रकरण दर्ज करने, घटनास्थल से जब्ती करने व माल एफएसएल भेजने का साक्षी</u> :–

34. पीडब्ल्यू 07 भंवरलाल ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा के पद पर नियुक्त था । उस रोज थाने पर एक व्यक्ति की लाश ईदगाह ग्राउंड में पड़ी होने की सूचना उसे मिलने पर वह मय जाब्ता के मौके पर गया जहां पर प्रार्थी फिरोज ने उसे एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 पेश की जिस पर उसने ए से बी पृष्ठांकन कर रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करने हेतु थाने भिजवाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा ई से एफ फिरोज के हस्ताक्षर है । बाद कायमी मुकदमा यह रिपोर्ट उसे मौके पर होना प्राप्त हुई, मौके की कार्यवाही में उसने मृतक मेहबूब की रूबरू मौतबिरान फर्द सूरत राय पंचान मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच मौतबिरान, आई से जे परिवादी व के से एल उसके हस्ताक्षर है । फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श पी 02 पर ए से बी, सी से डी मौतबिरान, ई से एफ फिरोज व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । फर्द नक्शा मौका व हालात मौका, घटनास्थल का निरीक्षण करके बनाये जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिरान, ई से एफ फिरोज के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । घटना की फोटोग्राफी करवाई गयी और फोटोग्राफ्स प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे । लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया । बाद पोस्टमार्टम लाश की फर्द सुपुर्दगीनामा मुर्तिब की जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिरान, ई से एफ फिरोज व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर शामिल पत्रावली की थी । दौराने अनुसंधान गवाह फिरोज, निशार, सलीमखां, सिकंदर, युसूफ, व सद्दाम के बयान जैसे गवाहन ने बताये थे वैसे लिखकर शामिल पत्रावली किये थे । घटनास्थल से जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 के रूबरू मौतबिरान खून आलूंदा पत्थर जब्त किया था और एफ.एस.एल द्वारा गॉज पट्टी पर खून लिया था । जरिये प्रदर्श पी 07 के एक साढ़े तीन किलो का पत्थर खून से सना हुआ और एफ.एस.एल द्वारा गॉज पट्टी पर खून लिया गया । जरिये फर्द प्रदर्श पी–08 के नौ किलो वजन का पत्थर खून से सना हुआ, मय एफ.एस.एल से गॉज पट्टी पर लिया गया खून जब्त किया था । जरिये फर्द प्रदर्श पी 09 के मौके से खून आलूंदा मिट्टी, सादा मिट्टी व एक खून आलूंदा टोपाज ब्लेड प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर जब्त किया था । जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 के सड़क पर मिले खून को जगह–जगह से गॉज पट्टी पर लिया जाकर सीलबंद कर जब्त किया । जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 से लाश के पास पड़े चप्पल जोड़ी इंडस कंपनी की पुरानी टूटी हुई को जब्त

किया । जरिये फर्द प्रदर्श पी–12 के मृतक के खून आलूंदा कपड़े प्राप्त कर रूबरू मौतबिरान जब्त कर सीलबंद किये गये । जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 के खून आलूंदा मिट्टी को जब्त किया गया और जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 के के.जी.एन होटल के पास सड़क पर गिरे खून को गॉज पट्टी पर लिया जाकर जब्त किया गया । उक्त सभी आर्टिकल्स को रूबरू मौतबिरान जब्त किया गया, जिन सभी ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ मौतबिरान के हस्ताक्षर और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है । उक्त सभी जब्तशुदा आर्टिकल्स को सीलबंद हालत में जमा मालखाना करवाया गया । जब्तशुदा आर्टिकलस को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल भेजने के थाने के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15, प्रदर्श पी 16, प्रदर्श पी 17, प्रदर्श पी 18, प्रदर्श पी 19, प्रदर्श पी 20 व प्रदर्श पी 21 हैं जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । माल एफ.एस.एल भेजने हेतु रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 22, प्रदर्श पी 23, प्रदर्श पी 24, प्रदर्श पी 25, प्रदर्श पी 26 व प्रदर्श पी 33 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । माल खाना जमा करवाने हेतु मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति में प्रविष्टि में 466/18 में क्रम संख्या 01 से 12 अंकित है, जो प्रदर्श पी 27/1 से प्रदर्श पी 27/5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 28 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है । माल बाड़मेर पुलिस अधीक्षक से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 28, प्रदर्श पी 29, प्रदर्श पी 30, प्रदर्श पी 31 व प्रदर्श पी 36 है । माल जमा की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 32, प्रदर्श पी 34, व प्रदर्श पी 35 है । उसका स्थानांतरण हो जाने से उसने अग्रिम तफ्तीश हेतु पत्रावली पुष्पेंद्र वर्मा सी.आई. को सुपुर्द कर दी थी ।

जिरह में इस कथन को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 05 नामजद रिपोर्ट नहीं है और न ही इसमें किसी पर शक होना जाहिर किया हुआ है । इस कथन को सही बताया है कि उसने अनुसंधान के दौरान मृतक के भाइयों व उसके परिवार वालों के बयान लिये थे, उन बयानों में उन्होंने न तो मुलजिमान का नाम लिया था और न ही उन पर कोई शक जाहिर किया था । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 06 से प्रदर्श पी 10 में मौतबिर सलीम का नाम अंकित है, लेकिन उसके उन फर्दात पर हस्ताक्षर नहीं है । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 14 सावर्जनिक व एक खुला स्थान है। इस कथन को सही बताया है कि तफ्तीश उसके पास रही तब तक मुलजिमान के विरूद्ध कोई साक्ष्य अनुसंधान में नहीं आया था । यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल खुला स्थान है जिसके आगे मूंगड़ा गांव जाने वाली मुख्य सड़क है जो आगे मेगा हाईवे से जुड़ती है ।

<u>अनुसंधान साक्षी</u> :–

35. पीडब्ल्यू 03 पुष्पेन्द्र प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह अक्टूबर 2018 को पुलिस थाना बालोतरा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था । पूर्व थानाधिकारी श्री भंवरलाल द्वारा प्रकरण संख्या 342/18 की पत्रावली चार्ज में देने पर उसने अनुसंधान प्रारंभ किया था । दौराने अनुसंधान इलियास एवं हैदर अली को बाद अनुसंधान और पूछताछ के रूबरू मौतबिरान जरिये फर्द प्रदर्श पी 53 व 54 गिरफ्तार किया । दौराने अनुसंधान मुलजिम इलियास द्वारा स्वेच्छापूर्वक इतला दी गई कि उसने व हैदर अली ने महबूब के साथ मारपीट के दौरान पहने हुए कपडे व जूते उसने रहवासीय घर पचपदरा रोड बालोतरा में एक कमरे में छिपाकर रखे है जो साथ चलकर बरामद करवा सकता है । फर्द इतला प्रदर्श पी 40 पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम इलियास के हस्ताक्षर है । जैर हिरासत अभियुक्तगण इलियास व हैदर अली ने उसे स्वेच्छा इतला दी कि उन्होंने महबूब को जिस स्थान पर केजीएन के सामने मारपीट की उस स्थान व महबूब को मुस्लिम खेल मैदान में जिस जगह डालकर सिर पर पत्थर मारकर हत्या की तथा पेट पर ब्लेड से कट मारे थे वह स्थान उन्हें पता है जो साथ चलकर बता सकते हैं फर्द इतला अभियुक्त इलियास प्रदर्श पी 41 व अभियुक्त हैदर अली प्रदर्श पी 42 है जिन पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ मुलजिमान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । हैदर अली द्वारा उसे स्वेच्छा से इतला दी कि उसने व इलियास ने महबूब के साथ मारपीट के दौरान उसके पहने हुए कपडे उसके रहवासी घर गेमना गाजी बालोतरा पर एक कमरे में छिपाकर रखे है जो वह साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 43 पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ हैदर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । मुलजिमान इलियास व हैदर द्वारा उसे स्वेच्छा से इतला दी कि उन्होंने महबूब के साथ जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर सिर पर चोट कारित की थी वह लाठी उन्होंने पानी की टंकी के पास घनी बबूल की झाडियों में डाली थी जो साथ चलकर बता सकते हैं । फर्द इतला अभियुक्त इलियास की प्रदर्श पी 44 व हैदर प्रदर्श पी 45 है जिन पर ए से बी अभियुक्तगण व सी से डी उसके हस्ताक्षर है । मुताबिक इतला घटनास्थल प्रथम, केजीएन होटल के सामने मुलजिम इलियास व हैदर अली की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के देखा गया जो प्रदर्श पी 46 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ इलियास, जी से एच हैदर व आई से जे उसके हस्ताक्षर है । मुताबिक इतला घटनास्थल द्वितीय, मुस्लिम खेल मैदान मुलजिम इलियास व हैदर अली की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के देखा गया जो प्रदर्श पी 47 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ इलियास, जी से एच

हैदर व आई से जे उसके हस्ताक्षर है । मुलजिम इलियास की निशादेही से उसके रहवासीय मकान से इलियास के वक्त घटना पहने पारचात जूते जिन पर खून के छींटे लगे हुए, को एफएसएल जांच हेतु रूबरू मौतबिरान के एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'एल' अंकित किया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 48 पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ इलियास व जी से एच उसके हस्ताक्षर व 'एक्स' स्थान पर नमूना सील अंकित है । मुलजिम हैदर की निशादेही से उसके रहवासीय मकान से हैदर के वक्त घटना पहने पारचात टी–शर्ट व जींस पेंट जिन पर खून के छींटे लगे हुए थे एफएसएल जांच हेतु रूबरू मौतबिरान के एक कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'एम' अंकित किया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 49 पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ हैदर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व 'एक्स' स्थान पर नमूना सील अंकित है । मुलजिम हैदर की निशादेही से उसकी शकुनत से एक मोटरसाइकिल पल्सर कंपनी की बरंग काला जिस पर जगह–जगह खून लगा हुआ था, जिसे मार्कर से गोल घेरा किया गया को, एफएसएल जांच हेतु रूबरू मौतबिरान के कब्जा पुलिस ली गई फर्द जब्ती प्रदर्श पी 50 पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ हैदर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । उक्त मोटरसाइकिल का नजरी नक्शा रूबरू मौतबिरान के मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 51 है जिसके पुश्त पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ हैदर व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । अभियुक्त इलियास की निशादेही से जिस जगह से जूते व पारचात जब्त किए थे उस जगह का रूबरू मौतबिरान के नक्शा नजरी मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 52 है जिसके पुश्त पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान, ई से एफ इलियास व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । प्रकरण हाजा में जब्त माल एफएसएल परीक्षण हेतु मार्फत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाडमेर के एफएसएल जोधपुर भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 36 व एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 35 तथा रोड सर्टिफिकेट नंबर 212 दिनांक 14.11.2018 प्रदर्श पी 39 है । प्रकरण में लिंक गवाहों के बयान उनके कहेनुसार लिए जाकर शामिल पत्रावली किए । पीएमओ नाहटा अस्पताल बालोतरा को मेडिकल बोर्ड से अंतिम राय हेतु प्रेषित पत्र प्रदर्श पी 71 है । हिस्टोपेथोलॉजी जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 72 व एफएसएल रिपोर्ट (सिरोलॉजिकल विभाग) प्रदर्श पी 73 व 74 है । इलियास व हैदर के मोबाइल कंपनियों से वोडाफोन व जिओ कंपनी के कॉल डिटेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए जिनके 65 बी(4) का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 75 व 76 है । घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात मुलजिम द्वारा पेश नहीं करने पर ऑनलाइन रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी

77 है । इलियास व हैदर के आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये जो प्रदर्श पी 78 है । मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट बाडमेर द्वारा घटनास्थल की रिपोर्ट पत्रांक 24 दिनांक 03.10.2018 से प्रभारी दिनेश कुमार द्वारा प्रेषित की जो प्रदर्श पी 79 है । मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 80 है । एफएसएल जोधपुर के सिरोलॉजिकल विभाग की रिपोर्ट प्रदर्श पी 81 है । बाद अनुसंधान आरोपी इलियास व हैदर अली के विरूद्ध जुर्म धारा 302, 201/34 आईपीसी में चालान न्यायालय में पेश किया ।

जिरह में कथन किया है कि घटना के एक महीना व 10 दिन बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी की थी । दोनों मुलजिमान को थाने में गिरफ्तार किया था । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 48 व 49 बरामदगी स्थल किसके हक मालिकाना का है उसके दस्तावेज देखने का काम नहीं पड़ा अजखुद कहा कि उनके माता–पिता वहीं रहते हैं । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 50 में हैदर अली की शकुनत से पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई उसके नाम से नहीं थी । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 46 बालोतरा से मूंगडा जाने वाली सडक है जिसके बदिशा उतर में केजीएन होटल व दक्षिण में कृषि मंडी परिसर है जहां लोगों व वाहनों की आवाजाही रहती है और प्रदर्श पी 47 खुला खेल का मैदान है जहां आस–पास लोगों के रहवासीय मकान हैं । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 44 व 45 मुलजिमान द्वारा दी गई इतला पर पहुंचकर तलाश की गई परंतु कोई बरामदगी नहीं हुई । यह स्वीकार किया है कि मोबाइल कॉल डिटेल लेने पर लोकेशन टावर एरिया की आती है । यह स्वीकार किया है कि उस टावर के रेंज में आने वाले समस्त घरों के मोबाइल के उपयोग करने की लोकेशन उसी टावर की आएगी। यह स्वीकार किया है कि अनुसंधान के दौरान किसी भी सीसीटीवी में प्रकरण से संबंधित फुटेज नहीं आने पर कोई फुटेज नहीं ली गई । यह स्वीकार किया है कि मुलजिमान व मुस्तगिस के परिवार के बीच कोई पुरानी पारिवारिक रंजिश हो तो उसके अनुसंधान में नहीं आया । इस कथन को गलत बताया है कि उसने मुलजिमान के खिलाफ गलत अनुसंधान कर गलत चार्जशीट पेश की हो ।

36. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि हस्तगत प्रकरण में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होकर मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । परिस्थिजिन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को साक्ष्य की प्रत्येक शृंखला को साबित किया जाना एवं शृंखला अटूट हो इस तथ्य को संदेह से परे साबित किए जाने की आवश्यकता है । मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने की स्थिति में हत्या करने का मोटिव अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है

जो अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने के लिए सहायक होता है । इसके अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में अभियुक्तगण से बरामदगी भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ती हो एवं उक्त समग्र शृंखला से अभियुक्तगण द्वारा अपराध किया गया या नहीं किया गया इस संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है । हस्तगत मामले में अभियोजन की ओर से जो गवाह परीक्षित करवाए गए हैं उनमें पीडब्ल्यू 01 युसुफ खां, पीडब्ल्यू 02 सिकंदर व पीडब्ल्यू 03 सद्दाम हुसैन, मृतक के भाई हैं जिन्होंने जिरह में मुलजिमान के द्वारा हत्या करने बाबत उन्हें कोई शक नहीं होना एवं हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा मेहबूब की हत्या नहीं की थी, कथन किया है । यद्यपि ये गवाह चक्षुदर्शी गवाह नहीं हैं परन्तु इन गवाहों ने अभिुक्तगण की मेहबूब से कोई रंजिश होना या अन्य कोई बात होना जिसको लेकर मेहबूब की हत्या करने का कोई संदेह होने बाबत कथन नहीं करते हुए अभियुक्तगण पर कोई शक नहीं होना एवं उनके द्वारा हत्या नहीं करने बाबत कथन किए हैं । घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 फिरोज खां प्रस्तुत की है जिसमें यह उल्लेख किया है कि उसका बड़ा भाई मेहबूब 10–15 सालों से स्वभाव से भोला था । दिनांक 09.09.2018 को सुबह 06.30 एएम पर घर से चाय पीकर गया था जो अक्सर रात को 11–12 बजे वापस घर आता था । दिनांक 09.09.2018 को वह रात में 08.00 बजे ही दवाई लेकर सो गया था । दिनांक 10.09.2018 को सुबह 07.00 बजे उठा तब उसके भाई सलीम ने उसे आकर बताया कि मेहबूब भाई की हत्या कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोहम्मडन ग्राउण्ड में मेहबूब की लाश फेंक दी है जिस पर वह, सलीम, सिकंदर, युसुफ, सद्दाम व निसार मोहम्मडन ग्राउण्ड में गए तब देखा कि मेहबूब की लाश पड़ी थी, सिर पर गहरा घाव लगा हुआ था, पेट चीरा हुआ, आंतें बाहर निकली हुई, शरीर से पेंट घुटनों तक उतरी हुई, शर्ट फटा हुआ व खून से सना हुआ था। लाश के पास चप्पल व पत्थर पड़े थे जिन पर खून के निशान थे । उसे पूरा अंदेशा है कि उसके भाई मेहबूब की दिनांक 09.09.2018 से 10.09.2018 की दरम्यानी रात किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या करके लाश मोहम्मडन ग्राउण्ड में फैंक दी है ।

37. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 फिरोज खां द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें भी किसी व्यक्ति पर मेहबूब की हत्या करने का अंदेशा होना नहीं बताया है न ही मेहबूब की किसी व्यक्ति के साथ कोई रंजिश होना या अभियुक्तगण के साथ अन्तिम बार मृतक का साथ में होना किसी के द्वारा देखे जाने बाबत ही कथन किये हैं ।

38. प्रथम सूचनाकर्ता फिरोज की मृत्यु हो जाने से वह परीक्षित नहीं हो सका है ।

39. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों में पीडब्ल्यू 04 मोहम्मद अयूब व पीडब्ल्यू 05 निशार खां मृतक मेहबूब की लाश की फर्द पंचनामे के गवाह हैं जो पक्षद्रोही हुए हैं। पीडब्ल्यू 06 सलीम पंचनामा, फर्द सूरतहाल लाश व घटनास्थल निरीक्षण का गवाह है जो भी पक्षद्रोही हुआ है तथा इन गवाहों ने उनके समक्ष फर्द पंचनामा, फर्द सूरतहाल लाश नहीं बनाने व घटनास्थल का निरीक्षण नहीं करना कथन किया है। यद्यपि ये गवाह पक्षद्रोही हुए हैं परन्तु मेहबूब की मृत्यु होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है जो तथ्य प्रदर्श पी 01 फर्द पंचनामा, प्रदर्श पी 02 फर्द सूरतहाल लाश, प्रदर्श पी 04 फर्द सुपुर्दगीनामा लाश व प्रदर्श पी 37 शव परीक्षण रिपोर्ट से साबित है।

40. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहों में पीडब्ल्यू 08 डॉ. हरीश खत्री जिसके द्वारा मृतक का शव परीक्षण किया गया था, ने दिनांक 10.09.2018 को मेहबूब पुत्र मूसे खां का मेडिकल बोर्ड द्वारा शव परीक्षण करना जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 37 होना जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना कथन किया है। इस गवाह ने मेडिकल रिपोर्ट की राय अनुसार मृतक मेहबूब की मृत्यु का कारण एफएसएल रिपोर्ट व हिस्टोपैथोलोजिकल रिपोर्ट के बाद ही दिया जा सकना बताया है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 के अनुसार मृतक के भेजे गए विसराज में मेटाबॉलिक पाइजनिक, ईथायल एंड मिथायल एल्कॉहॉल, साईनाईड, एल्केलॉइड़, बारबिच्यूरेट, ट्रेंक्यूलाईजर व पेस्टिसाइडस की उपस्थित नहीं होना कथन किया है। प्रदर्श पी 71 अनुसंधान अधिकारी द्वारा, प्रमुख चिकित्साधिकारी, राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा को मेहबूब की मृत्यु के बारे में अंतिम राय दिए जाने हेतु लिखा गया पत्र है जिसकी पुश्त पर मेहबूब की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव होने तथा सिर व पेट में पहुपदीय चोटें आने से कोमा में जाने से मृत्यु होना बताया है। इस प्रकार प्रदर्श पी 71 के, अवलोकन से मेहबूब की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव होना तथा मृक के सिर व पेट पर बहुपदीय चोटें आने से कोमा में जाने से मृत्यु होना बताया है। इस प्रकार मेहबूब की मृत्यु होने का तथ्य निर्विवाद है।

41. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहों में पीडब्ल्यू 19 मोहम्मद अली, पीडब्ल्यू 09 गोपालसिंह, पीडब्ल्यू 10 बाबूलाल, पीडब्ल्यू 14 मेघाराम, पीडब्ल्यू 15 दशरथ, पीडब्ल्यू 16 स्वरूपसिंह व पीडब्ल्यू 22 दीनाराम प्रकरण से संबंधित सैम्पल मालखाने में जमा करने व सैम्पलों को नियमानुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत जाँच हेतु एफएसएल में भिजवाने के गवाह हैं। इन गवाहों के कथनों से प्रकरण से संबंधित सैम्पल एफएसएल में जाँच हेतु भेजने का तथ्य साबित होता है। इन गवाहों से की गई

जिरह में ऐसा कोई तात्विक तथ्य नहीं आया है जो गवाहों द्वारा की गई कार्यवाही को अविश्वसनीय बनाता हो । अभियोजन की ओर से प्रकरण के नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 73, 74 व 81 प्रदर्शित करवाई गई है । प्रदर्श पी 73 अनुसार मौके पर पाए गए पत्थर के टुकड़े व कपड़े की पट्टी पर लिया गया खून मानव रक्त होना पाया है तथा पैकेट मार्क 'C' में पाए गए पत्थर व कपड़े के टुकड़े पर पाया गया खून 'A' समूह का मानव रक्त होना बताया है । मौके से जब्त की गई ब्लेड पर खून होने की सकारात्मक साक्ष्य है परन्तु मानव रक्त था या नहीं, परीक्षण हेतु पर्याप्त नहीं होने से उसका निर्धारण नहीं हो सका है । सड़क से कपड़े पर लिये खून के धब्बों की जांच में खून पाये जाने की प्रदर्श पी 74 में सकारात्मक साक्ष्य है परन्तु परीक्षण हेतु अपर्याप्त होने से मानव रक्त होने या किस समूह का रक्त था, इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है । मौके से ली गई खून आलूंदा मिट्टी पर मानव रक्त होना बताया है परन्तु किस समूह का खून था इस बाबत निष्कर्ष अनिर्णायक है।

42. प्रदर्श पी 81 क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक मेहबूब के पेंट, कमीज व अभियुक्त इलियास के पेंट कमीज व जूतों पर खून होना बताया है । मृतक के पेंट व शर्ट पर मानव रक्त होना बताया है परन्तु रक्त का समूह अनिर्णायक होना पाया है । अभियुक्त इलियास के पेंट, शर्ट व जूतों पर पाया गया खून परीक्षण हेतु अपर्याप्त होने से मानव रक्त होने या नहीं होने एवं उसके समूह की जाँच नहीं हो पाना बताया है । अभियुक्त हैदर के पेंट पर खून नहीं होना एवं कमीज तथा मोटरसाईकिल पर खून होना पाया है परन्तु रक्त का समूह व मानव रक्त था या नहीं, परीक्षण हेतु अपर्याप्त होने के कारण अनिर्णायक होना बताया है । क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रशोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 73, 74 व 81 से यह तथ्य भी साबित नहीं होता है कि मृतक के खून का समूह क्या था एवं अभियुक्त इलियास के पेंट, शर्ट व जूतों तथा अभियुक्त हैदर के शर्ट तथा जब्त मोटरसाईकिल पर पाया गया खून उसी समूह का हो, जो मृतक का हो जिससे उक्त बरामदगी अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु नाकाफी है ।

43. अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें अभियुक्त हैदर अली के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी 50 के एक मोटरसाईकिल पल्सर बरामद करना बताया है उसके अलावा अभियुक्तगण के कब्जे से कोई बरामदगी किया जाना साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है । पल्सर मोटरसाईकिल पीडब्ल्यू 12 ओमप्रकाश से अभियुक्तगण द्वारा लेकर जाना बताया है जिसका यह कथन है कि उसने 07 साल पहले बोम्बे मोटर चौराहे जोधपुर से 21,000/– रुपये में एक पल्सर मोटरसाईकिल खरीदी थी । वह मोटरसाईकिल लेकर उसकी बहन के घर जीरो फाटक बालोतरा गया था । राजू भील व

उसके बीच में लेनदेन था तथा वह राजू भील से 600/– रुपये मांगता था । राजू भील के बुलाने पर वह जीरो फाटक गया तब राजू भील के साथ में इलियाय, हैदर व दो–तीन अन्य व्यक्ति मौजूद थे । ये लोग उसे बहला–फुसलाकर मुंगड़ा रोड़ स्थित मामाजी के थान लेकर गए जहाँ पर उसके साथ मारपीट की एवं उसके दो फोन व पल्सर मोटरसाईकिल छीन ली । उसके बाद मुलजिमान ने उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर माजीसा मंदिर के पास जसोल छोड़ दिया ।

जिरह में यह कथन किया है कि उसने मोटरसाईकिल के कागजात पुलिस को दिए थे । उसके साथ हुई मारपीट की डॉक्टरी करवाई थी । इस कथन को सही बताया है कि उसके साथ मारपीट हुई उसकी रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन व मोटरसाईकिल के कागजात पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं ।

इस गवाह ने इलियास, हैदर व दो–तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर, दो फोन व पल्सर मोटरसाईकिल छीनकर ले जाना बताया है परन्तु विशिष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाईकिल छीनकर ले जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं तथा अभियोजन की ओर से मोटरसाईकिल पल्सर के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह जाहिर होता हो कि पल्सर मोटरसाईकिल पीडब्ल्यू 12 ओमप्रकाश के पास हो या उसके स्वामित्व की हो जिसे अभियुक्तगण लेकर गए हों ।

44. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहों में पीडब्ल्यू 13 उदयसिंह तथा पीडब्ल्यू 16 चेतनराम घटनास्थल तस्दीक से संबंधित गवाह हैं, जिन्होंने अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 23 पुष्पेन्द्र द्वारा मौका तस्दीक कर फर्द प्रदर्श पी 40 से 45 व 46 से 47 बनाए जाने बाबत कथन किए हैं। पीडब्ल्यू 13 उदयसिंह का यह कथन रहा है कि दिनांक 20.10.2018 को अनुसंधान अधिकारी पुष्पेन्द्र वर्मा द्वारा उसके व चेतनराम के रूबरू आरोपी इलियास की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला तथा हैदर अली द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला मुर्तिब की जो क्रमशः प्रदर्श पी 40 से 45 है जिन पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं । उस रोज अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके व चेतनराम के रूबरू आरेपी इलियास व हैदर अली की निशादेही से मृतक मेहबूब के साथ मारपीट करने के स्थान केजीएन होटल तथा मृतक मेहबूब को मुस्लिम खेल मैदान पर सिर पर पत्थर मारकर तथा पेट पर कट मारने के स्थानों की मौका तस्दीक करवाई जिसकी फर्द प्रदर्श पी 46 से 47 बनाना, इसी अनुरूप पीडब्ल्यू 16 चेतनराम ने भी कथन किए हैं । पीडब्ल्यू 23 पुष्पेन्द्र अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान मुलजिम इलियास द्वारा स्वैच्छापूर्वक इत्तला देना कि उसके व हैदर अली ने मृतक मेहबूब के साथ मारपीट के दौरान पहने कपड़े व जूते उसके

रहवासीय घर पचपदरा रोड़, बालोतरा में एक कमरे में छिपाकर रखे हैं जो साथ चलकर बरामद करवा सकता है जिसकी इत्तला प्रदर्श पी 40 दी गई है । जैर हिरासत अभियुक्त इलियास ने स्वैच्छा से इत्तला दी कि उसने व हैदर अली ने मेहबूब को जिस स्थान पर केजीएन के सामने मारपीट की उस स्थान व मुस्लिम खेल मैदान जिस जगह मृतक को डालकर सिर पर पत्थर मारकर हत्या की तथा पेट पर ब्लेड से कट मारे उस स्थान का उसे व हैदर अली को पता है जो इत्तला प्रदर्श पी 41 है । हैदर अली द्वारा उसे इत्तला दी कि उसने व इलियास ने मेहबूब के साथ जिस स्थान पर केजीएन के सामने मारपीट की वह स्थान तथा मुस्लिम खेल मैदान में जिस जगह डालकर सिर पर पत्थर मारकर हत्या की तथा पेट पर ब्लेट से कट मारे उस स्थान की उसे व इलियास को जानकारी है जो साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 42 है । हैदर अली द्वारा स्वैच्छा से इत्तला देना कि उसने व इलियास ने मेहबूब के साथ मारपीट के दौरान उसके पहने हुए कपड़े रहवासी घर गेमना गाजी, बालोतरा में एक कमरे में छिपाकर रखे हैं जो साथ चलकर बरामद करवा सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 42 है । मुलजिम इलियास द्वारा स्वैच्छा से इत्तला दी कि उसने व हैदर अली ने मेहबूब के साथ जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर चोटें कारित की वह लाटी पानी की टंकी के पास घनी झाडियों में डाली थी जो साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द इत्तला प्रदर्श पी 44 है । हैदर अली द्वारा स्वैच्छा से इत्तला दी कि उसने व इलियास ने मेहबूब के साथ जिस बबूल की लाठी से मारपीट कर चोटें कारित की थी वह लाठी दोनों ने पानी की टंकी के पास घनी बबूल की झाडियों में डाली थी जो साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 45 है । मुताबिक इत्तला प्रथम, केजीएन होटल के सामने मुलजिमान इलियास व हैदर अली की निशादेही से मौका देखा गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 46, मुताबिक इत्तला घटनास्थल द्वितीय, मुस्लिम खेल मैदान मुलजिमान इलियास व हैदर अली की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के देखा गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 47 है । मुलजिम इलियास की निशादेही से उसके रहवासीय मकान से इलियास के वक्त घटना पहने पारचात व जूते जिन पर खून के छींटें लगे हुए थे, एफएसएल जाँच हेतु रूबरू मौतबिरान कपड़े की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क 'L' अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 48 है । मुलजिम हैदर अली की निशादेही से उसके रहवासीय मकान से वक्त घटना पहने पारचात टी-शर्ट व पेंट जिन पर खून के छींटे लगे हुए थे, एफएसएल जाँच हेतु रूबरू मौतबिरान के सीलचेपा कर मार्क 'M' अंकित किया । मुलजिम हैदर की निशाादेही से उसकी सकूनत से एक मोटरसाईकिल पल्सर जिस पर जगह-जगह खून लगा हुआ था, एफएसएल जाँच हेतु रूबरू मौतबिरान के कब्जा पुलिस लिया गया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 50 है । उक्त

मोटरसाईकिल बरामदगी का नजरी नक्शा रूबरू मौतबिरान मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 51 है । अभियुक्त इलियास की निशादेही से जिस जगह से जूते व पारचात जब्त कए थे उस जगह का रूबरू मौतबिरान नजरी नक्शा बरामदगी स्थल मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 52 है। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त इलियास की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 41 व अभियुक्त हैदर अली की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 42 के अनुसार केजीएन के सामने व जिस खेल के मैदान में मेहबूब को ले जाकर सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने व पेट पर ब्लेक से कट मारने के स्थान की तस्दीक कर उन स्थानों की फर्द तस्दीक प्रदर्श पी 46 व 47 बनाना कथन किया है परन्तु पत्रावली पर मौका तस्दीक फर्द प्रदर्श पी 46 व 47 के अलावा अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य नहीं है । केवल मात्र अभियुक्तगण की सूचना के आधार पर मौका तस्दीक किए जाने के आधार पर ही तथा अभियुक्तगण से वक्त घटना उनके पहने कपड़े व जूते बरामद करना जिन पर खून पाये जाने जो भी मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता हो अभियुक्तण को अपराध से जोड़ने एवं आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि मेहबूब की हत्या दिनांक 09–10 सितम्बर 2018 की दरम्यानी रात्रि में हुई थी एवं अभियुक्त इलियास व हैदर के पारचात, जूते व मोटरसाईकिल दिनांक 20.10.2018 को घटना के करीब 01 माह 10 दिन बाद बरामद करना बताया है । कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कोई घटना कारित की हो और वह व्यक्ति घटना में संलिप्त करने वाले किन्हीं सबूतों को घटना के बाद इतने लम्बे समय तक सहेज कर सुरक्षित रखे कि मुकद्दमा होने पर वह सबूत उसकी दोषिता की गवाही हेगा, यह तथ्य एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के सामान्य आचरण से पूर्णतया प्रतिकूल है । किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध करने के बाद उसके दिमाग में प्रथम बात अपराध के सबूतों को नष्ट करने का विचार आता है न कि अपराध के सबूतों को संरक्षित रखने का । हस्तगत मामले में अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद वस्तुएँ कपड़े व जूते हैं जो इस प्रकार की वस्तु भी नहीं है जिसे कोई व्यक्ति फैंक नहीं सकता हो। इसके अलावा यह कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल पर लगे खून के धब्बों को 01 माह 10 दिन तक साफ नहीं किया जाये । उपरोक्त समस्त परिस्थितियाँ भी बरामदा कपड़ों, जूतों व मोटरसाईकिल पर खून के धब्बे पाये जाने के तथ्यों को अति अविश्वसनीय बनाता है ।

45. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा, मृतक की हत्या किए जाने का कोई हेतुक भी साबित नहीं किया है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य भी आई है जिससे

यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तगण की मृतक से किसी प्रकार की कोई रंजिश हो और उस रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा हत्या की गई हो ।

46. अभियुक्तगण से कपड़ों, जूतों व मोटरसाईकिल के अलावा कोई बरामदगी किया जाना भी साबित नहीं है एवं केवल मात्र कपड़ों की बरामदगी होना लेकिन कपड़ों पर भी मानव रक्त होने की भी कोई साक्ष्य नहीं है, जो तथ्य भी अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन संदेह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मेहबूब की हत्या की गई हो । परिणामस्वरूप अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

::आदेश::

47. अतः अभियुक्तगण इलियास व हैदर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 व 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

48. इस न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत् अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पेश बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं ।

49. धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, अभियुक्तगण इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में, अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलका पेश कर तस्दीक करावें ।

50. प्रकरण से संबंधित सेंपल या वजह सबूत यदि कोई हो तो बाद गुजरने म्याद अपील/रिवीजन, नियमानुसार निस्तारण किया जावे ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

51. निर्णय व आदेश आज दिनांक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.06.03 11:41:43 +0530